



छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

क्र. ५२१६ / सबद्धता / 2021
प्रति.

छिंदवाड़ा दिनांक 23/06/2021

प्राचार्य

राजनीता सिद्धिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

विषय— अस्थाई वार्षिक सबद्धता सत्र 2021-22

सबद्धता हेतु आपके द्वारा प्रवित आवेदन के परिणेत्र में सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 के लिये आपके महाविद्यालय को निम्नांकित विषयों हेतु अस्थाई सबद्धता प्रदान की जाती है, यह सबद्धता आगामी समय में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्य अधिकारी निरस्त की जायगी।

विषय / शाखा

वी.ए	- अध्यार पाठ्यक्रम, हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, गणोविज्ञान,
ती. कॉम	गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
बी.एस.सी.	- अध्यार पाठ्यक्रम, एकाउट, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
हविज्ञान	- अध्यार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, नौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन
एम.ए	- हिंदी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, अंग्रेजी
एम.एस.सी.	- गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र
एम.कम	-
एम.एव.एस.सी.	- सानाव विकास, एम.एव.एस.सी. - आहार पोषण

सामान्य शर्तें —

1. शासन की मान्यता/नियामक संस्था की मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभिव्यक्ति पत्र के आधार पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
2. अस्थाई सम्बद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2022-23 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा/नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय परिनियम — 27 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश क. 6 एवं 7 सहित अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
4. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वित्तीय सत्र समाप्ति के पश्चात् 15 दिवस में बार्टर्ड अकाउटेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
5. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन, विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
6. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तें (यदि कोई हो) की पूर्ति करने के पश्चात् ही आगामी सत्र में सम्बद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त सम्बद्धता स्पत ही समाप्त मानी जायेगी।
7. दिना सम्बद्धता के छात्रों का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
8. प्रयागशाला, लाईब्रेरी तथा अन्य आवश्यक अधोरारचना तीन माह में नियमित एवं विकसित किया जो व इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जायेगी।
9. नियमों भी नियम/निर्देश/प्रावधान की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

कुलसंचिल
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय

छिंदवाड़ा (म.प्र.)

छिंदवाड़ा दिनांक 23/06/2021

पु. क्र. ५२१७ / सब. / 2021

प्रतिलिपि -

1. कुलपतिजी के निज सहयक के माध्यम से कुलपतिजी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग गोपाल (म.प्र.) की सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर समाग जबलपुर (म.प्र.)।
4. द्वात्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, नर्गदापुरम समाग होशगांव (म.प्र.)।
5. उपकुलसंचिल, परीक्षा नियन्त्रक/गोपनीय शाखा को कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रनाली आईटी सेल को सूचनार्थ।

सहाय्यक कुलसंचिल
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय
छिंदवाड़ा (म.प्र.)